04/08/23

पत्रावली आज पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप० विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोई समय में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई, बावजूद आवाजे दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के पत्रावली पर बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

पत्रावली संख्या : 09 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. छगनलाराम पुत्र गजनाराम
2. तुलछीदेवी पत्नी मजनाराम
3. नीम्बाराम पुत्र भेराराम
4. हंजाराम पुत्र मजनाराम

   जाति मेघवाल निवासी धांधलावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गणपतलाल पुत्र नरसिंगाराम
2. नरसिंगाराम पुत्र डरधाराम
3. प्यारीदेवी पुत्री नरसिंगाराम
4. मदाराम पुत्र नरसिंगाराम
5. शंकरलाल पुत्र नरसिंगाराम
6. हाजाराम पुत्र नरसिंगाराम

   जातियान माली साकिन माळियों की ढाणी
7. बलवन्तसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपूत निवासी धांधलावास
8. अगराराम पुत्र मैनाराम
9. अचलाराम पुत्र प्रागाराम
10. हन्दाराम पुत्र मेनाराम
11. किरताराम पुत्र केसराराम
12. छगनाराम पुत्र केसराराम
13. जवानाराम पुत्र केसराराम
14. तारा पुत्र गंगा
15. पारू पत्नी मेना
16. बाबूराम पुत्र प्रागाराम
17. मेतीदेवी पत्नी केसराराम
18. मोहनलाल पुत्र केसराराम
19. सवा पुत्र गंगा
20. हरा पुत्र गोवा
21. आम्बाराम पुत्र हुकमाराम
22. दोलाराम पुत्र आम्बाराम
23. नागजीराम पुत्र आम्बाराम
24. प्रभुराम पुत्र आम्बाराम
25. हेमराज पुत्र मोतीराम

    जातियान मेघवाल साकिन धांधलावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
26. मैनेजर आरएमजीबी बैंक सडा
27. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक गुडामालानी
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. श्री प्रागाराम बोगराज अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विप्रार्थीगण के विरूद्ध वावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रागाराम बोगराज की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा धांधलावास पटवार क्षेत्र नगर तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 150, 196, 196/2 रकबा कमशः 2.4524, 0.1376, 0.0162 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा धांधलावास पटवार क्षेत्र नगर तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 150, 196, 196/2 रकबा कमशः 2.4524, 0.1376, 0.0162 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

/2023/850 दिनांक : 4/8/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

छगनाराम वगैरा **गणपलाल वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......09/2023.. निर्णय दिनांक :– **04.08.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **धांधलावास** के खेत खसरा नम्बर 150, 196, 196/2 रकबा 2.4524, 0.1376, 0.0162 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार....गुड़ामालानी.....**को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**1000/–**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी

कमांकः वाद/2023/851-52 दिनांक : 4/8/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.......... RGT रावली नाडी नगर
3. हल्का पटवारी....**नगर..** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........**छगनलाल वगैरा**
5. विप्रार्थीगण.....**गणपतलाल वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी